


# Form No-III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् प्रेमचंद आदि बनाम मदनलाल आदि वगैरा किस्म मुकदमा 53-88-188-92ए-209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 50/2024

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
22.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार रूक-रूककर आवाजे लगाई। आवाजे लगाने के बावजूद पक्षकार/अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में कोई पक्षकार/अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम् पैरवी अदम हाजरी खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>निर्णय आदिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> शंकुतला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर।</p>	

